अध्याय 8

समाज और हमारे दायित्व

साधारण शब्दों में समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है , जिसकी एक समान संस्कृति होती है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। एक व्यक्ति किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति तो किसी का भाई भी हो सकता है। यदि हम संसार को लें तो व्यक्तियों का परिवार से और एक परिवार का अन्य परिवारों से सामाजिक संबंध पाया जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता है। अतः उसे दूसरों के साथ सहयोग करना होता है, वह उनके साथ मिल–जुलकर काम करता है। इस प्रक्रिया से लोगों में सामाजिक संबंध पनपते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, अतः समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। इन सामाजिक संबंधों के फलस्वरुप व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रस्थितियाँ (status) प्राप्त होती हैं और उनके अनुसार ही उसे विभिन्न व्यवहार एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है, क्योंकि समाज भी व्यक्ति से उसको प्राप्त प्रस्थितियों के अनुरूप ही उसके व्यवहार, क्रियाएँ एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा करता है।

व्यक्ति और समाज एक–दूसरे पर आश्रित हैं। उनका संबंध एक पक्षीय नहीं है, बल्कि दोनों ही एक–दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास के लिए अनिवार्य हैं। व्यक्ति समाज के बिना अपना विकास नहीं कर सकता, तो वहीं समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों से ही है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि –

1. **मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है–** मनुष्य में स्वभाव से ही सहयोग एवं सह–अस्तित्व की भावना पायी जाती है। वह समाज से अलग अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए वह अन्य मनुष्यों के साथ समाज की गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे उसका विकास होता है।

2. **आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है–** मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। वह अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। व्यक्ति समाज में ही उत्पन्न होता है। बच्चा माता–पिता की देखभाल में पलता है और उनके साथ रहकर ही नागरिकता का पहला पाठ पढ़ता है। कोई भी व्यक्ति तब तक मनुष्य नहीं बन सकता, जब तक कि वह अन्य मनुष्यों के साथ नहीं रहे। हम दूसरों के साथ रहकर तथा उनकी सहायता से अपनी भोजन, आवास, कपड़ा आदि की जरुरतें पूरी करते हैं। अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति को सामाजिक बनना ही पड़ता है।

   मनुष्यों के सम्पर्क से दूर और पशुओं के बीच पल जाने वाले कुछ बच्चों के उदाहरण भी मिले हैं, परन्तु उनकी आदतें और व्यवहार पशुओं जैसे ही विकसित हो गए थे।

3. **समाज व्यक्तित्व का विकास करता है–** समाज में मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज व्यक्ति में अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित और मर्यादित करता है। समाज में हमारे

दृष्टिकोण, विश्वास और आदर्श समुचित रूप से ढलते हैं। समाज हमारी संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखता है, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाता है।

गतिविधि :

सोचिए, यदि आप को कुछ दिन निर्जन स्थान पर अकेले में जीवन बिताना पड़े, तो आपको कौनसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको कैसा अनुभव होगा ।

व्यक्ति में समाज के प्रति अन्तर्निहित विरोध

यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का समाज के साथ या फिर अपने साथ के मनुष्यों के समूह के साथ सदैव सामंजस्य बना ही रहे। कई बार व्यक्ति का उसके समाज के साथ किन्हीं पहलुओं पर गंभीर विरोध उत्पन्न हो सकता है, जो उसकी परिस्थितियों से मेल न खाते हों। किन्तु इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था में ही ह्रास हो रहा हो तथा इस कारण से व्यक्ति और समाज में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। समाज की संस्थाओं में विभिन्न कारणों से कभी विकार भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में पला–बढ़ा है, यदि उसे दास–प्रथा के वातावरण में रख दिया जाए, तो यह स्थिति उसके लिए दमनकारी और कष्टदायक होगी। उस स्थिति में वह समाज–विरोधी हो जाएगा। उसके विरोध का कभी भी आकस्मिक तथा अभूतपूर्व विस्फोट हो सकता है। वह समाज में लोकतांत्रिक और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर सकता है।

अतः समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक–व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवतावादी होनी चाहिए। समाज की व्यवस्थाएँ व्यक्ति की अवहेलना न करके, उसके विकास में साधक बने । व्यक्ति को समाज के प्रति कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम बनाना समाज का कर्त्तव्य है। ऐसा समाज स्वस्थ समाज होता है। इस प्रकार के समाज में अन्तर्विरोधों की सम्भावनाएँ कम ही होती हैं।

गतिविधि :

आप जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, उस पर अपने साथियों से विचार करके एक लेख लिखिए।

हमारे सामाजिक दायित्व

हमारे ऋषियों अर्थात् संस्कृति–पुरुषों ने ऋग्वेद में एक स्थान पर प्रार्थना की है कि – "हे ईश्वर! हम अपने पडौसी के प्रति अन्याय न करें, न ही अपने मित्र को हानि पहुँचायें। हमारे प्रति प्रेम करने वालों के प्रति हमसे कोई दुर्व्यवहार न हो जाय।"

एक अन्य स्थान पर उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की है कि "सब मनुष्य भली प्रकार मिल कर रहें और प्रेमपूर्वक आपस में वार्तालाप करें। सबके मनों में एकता का भाव हो और वे अविरोधी ज्ञान प्राप्त करें। सभी लोग सहयोगपूर्वक कार्यों को करें।"

जिस समाज के सदस्य इस प्रकार का आचरण करते हैं, उस समाज में सुख तथा शान्ति का

वातावरण बना रहता है और मनुष्य का कल्याण होता है। ये विचार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं।

समाज और व्यक्ति परस्पर निर्भर होते हैं, अतः स्वस्थ और सुखी समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कर्त्तव्य बनते हैं। समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार का आचरण करना उचित होगा –

(1) समाज के प्रति उचित आचरण : हमें बदलते सामाजिक परिवेश को समझ कर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हमारा समाज स्वस्थ और विकास–उन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हमें समाज में प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करना होगा और बहुत से सुधार करने होंगे। व्यक्ति की गरिमा का हनन् करने वाली और महिलाओं का असम्मान करने वाली दहेज आदि कुप्रथाओं का त्याग करें। भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठावान् महापुरुषों ने इन बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। एकता, भातृत्व भाव और सह–अस्तित्व की भावना से जीवन बिताते हुए ही हम अपनी व समाज की उन्नति कर सकते हैं। स्वयं भी जियें और दूसरों को भी जीने दें। यदि हम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाह करते हैं, तो हमारा समाज और राष्ट्र निरन्तर प्रगति करता रहेगा।

(2) समाज की उत्पादक इकाई बने : देश की अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन बराबर चलता रहे, इसके लिए नागरिकों को निरन्तर कार्य में लगे रहना चाहिए। हमें लापरवाही, हड़ताल जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करें और उत्पादन की मात्रा और गुणात्मकता को बढायें। उत्पादन का तरीका सांस्कृतिक और जीवन–मूल्यों की रक्षा करने वाला हो। विद्यार्थियों का कर्त्तव्य है कि वे मन लगाकर और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करके समाज के उपयोगी सदस्य बनें। हमें राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए निरन्तर कार्यशील रहना चाहिए।

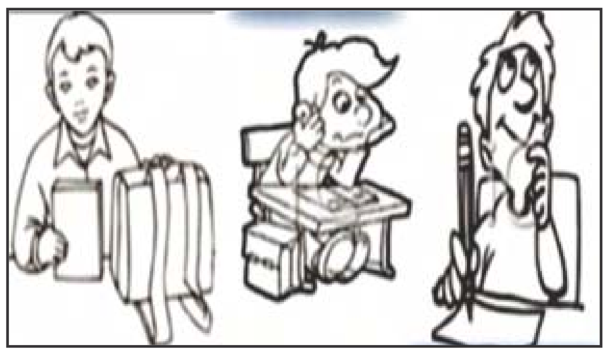

बच्चे शिक्षा प्राप्त करके सुनागरिक बनें

(3) सार्वजनिक जीवन में अनुशासन : प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है– इच्छानुसार काम करना, परन्तु इसका मतलब मनमानी करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाते हैं और मनमानी करते हैं। वे स्वतंत्रता का दुरूपयोग करते हैं।

आपने देखा होगा कि कुछ लोग सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहीं भी दीवारों पर लिख देते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं। अनेक लोग देर रात तक और जोर–जोर से संगीत बजाते हैं। कुछ लोग नशा करके हुड़दंग मचाते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– ट्रेन, बस, बस–स्टेण्ड, उद्यान आदि में सुविधाओं का लापरवाही से प्रयोग करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, चीजों को

इधर–उधर डाल देते हैं या चोरी कर ले जाते हैं। कचरे को उचित स्थान पर नहीं डाल कर इधर–उधर डाल देते हैं और गंदगी फैला देते हैं। अनेक लोग संचार के साधनों के माध्यम, इंटरनेट तकनीक और उसके सोशल मिडिया जैसे संचार मंच का दुरुपयोग कर साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। समाज में कुछ लोगों द्वारा किये गए इन गलत कार्यों से अनुशासनहीनता का वातावरण बनता है। समाज में लड़ाई–झगड़ा और संघर्ष पैदा होता है। इन कार्यों से देश और समाज को नुकसान होता है और देश की प्रगति बाधित होती है। हमें हिंसा, उत्तेजना और अश्लील आचरण से बचना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को कष्ट उठाने पड़े।

अपना पक्ष रखने या विरोध जताने के लिये उत्तेजना और हिंसा उचित नहीं है। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, किंतु तरीका सभ्य व लोकतांत्रिक होना चाहिए। अपने विचारों को संयम और तर्क के साथ रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।

गतिविधि :
आप अपने परिवेश में अनुशासनहीनता सम्बन्धी जिन गतिविधियों को देखते हैं, उनकी एक सूची बनाइए।

(4) दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना : हम अपने लिए दूसरों से जो अधिकार चाहते हैं, वे अधिकार हम उन्हें भी प्रदान करें। सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लोकतांत्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो समाज में व्यक्तियों के परस्पर सम्मान और समानता, सद्भावना व बंधुत्व भाव के विरुद्ध हों। समाज में समरसता का निर्माण करने में सहयोग करें। हमारा उद्देष्य सभी का उत्कर्ष और उनकी सुख–समृद्धि होना चाहिए।

(5) संस्कृति की रक्षा : वैश्विक संस्कृति के इस युग में प्रत्येक बात का अन्धानुकरण न करके हमें उसमें से सत्य को पहचानना होगा और अपनी परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसका परिष्कार करना होगा। हमारा संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हम भारतीय सामासिक संस्कृति व परम्पराओं का महत्त्व समझे और उनके स्वस्थ व गौरवशाली स्वरुप का परिरक्षण करें। हम अपने पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें। देश के महापुरुषों व स्वाधीनता–संघर्षकालीन राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करें व उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करें। हमारी राष्ट्रीय धरोहरों व स्मारकों की रक्षा करें।

(6) राजनीतिक जागरूकता : भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। वह नागरिक राजनीतिक रूप से जागरूक कहलाता है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहता है और अपने कर्त्तव्यों का पालन स्वतः ही करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार–पत्र और पत्रिकाएँ आदि जन संचार के माध्यमों के उपयोग से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हमारी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। समाचारों के साथ विद्वानों के विचार सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए।

मतदान केंद्र का दृश्य

(7) विवेकपूर्ण मतदान : मत (वोट) देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कारण मतदान का लोकतंत्र में विशेष महत्त्व है। किन्तु कुछ लोग अपने इस महत्त्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जागरूक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे मतदान के लिए नहीं जाते। मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यदि आप मतदान नही करते हैं, तो हो सकता है कि आप जिस उम्मीदवार को योग्य समझते हैं और जिस राजनीतिक दल की नीतियों को ठीक समझते हैं, वह जीत नहीं पाए और वह सरकार नहीं बना पाए। यदि बहुत बड़ी मात्रा में लोग मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं तो हो सकता है कि देष अच्छे शासन से वंचित हो जावे। अतः मतदान अवश्य करना चाहिए।

समझदार एवं अनुभवी मतदाता हमेशा योग्य व्यक्ति के पक्ष में अपना मतदान का प्रयास करता है। परन्तु कुछ मतदाता ऐसे हो सकते हैं जो रिश्तेदारी, जाति या धर्म के आधार पर अथवा प्रलोभन में आकर बिना सोचे समझे अयोग्य व्यक्ति को मतदान कर सकते हैं। हमें राष्ट्रहित में सोच–समझकर मतदान करना चाहिए।

(8) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य : घर, मोहल्लों और अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाएँ रखें और कचरे को यथास्थान डालें। पॉलिथिन की थैलियों का प्रयोग न करें, उसके स्थान पर कागज व कपड़े से बने थैले ही काम में लें। कोई भी ऐसा कृत्य न करें, जो मानवीय जीवन को खतरे में डाले। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मादक व नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। हमारे देश में प्रति वर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसका एक कारण समय पर खून उपलब्ध नहीं हो पाना है। अतः दूसरों का जीवन बचाने के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है।

स्वच्छ भारत अभियान

(9) प्रशासन की सहायता करना : हो सकता है कि आपके आस–पास कोई व्यक्ति नकली या मिलावटी माल बेचता हो। आप ऐसे कार्यों की सूचना प्रशासन को देवें। रिश्वत लेना और देना दण्डनीय अपराध है। रिश्वत नहीं देनी चाहिए और रिश्वत माँगने वालों की प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। अफवाह फैलाने तथा हिंसा और उत्तेजना उत्पन्न करने से बचना चाहिए। ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को देनी चाहिए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिकों व प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।

(10) पर्यावरण की रक्षा : प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि हमारी प्राकृतिक धरोहर वन, झील और नदियों की रक्षा और संवर्धन करे। कुएँ, तालाब, झील और नदियों में कचरा व अपशिष्ट पदार्थ न

डाले। अधिक से अधिक पेड़ लगावे। प्रकृति के साधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करे। हम प्रकृति से उतना ही लें और इस प्रकार लें कि प्रकृति उस कमी की स्वयं पुनः पूर्ति कर लें। हमें पर्यावरण मित्र बनना चाहिए।

पर्यावरण की रक्षा

(11) सेवा कार्य : हमें प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करनी चाहिए। अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम और गरीबों की बस्तियों में समय–समय पर अपनी सेवा व सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षा के प्रसार में सहयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम एक सेवा का कार्य तो अवश्य करना चाहिए।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की सहायता से विद्यालय और अपने गाँव/मोहल्ले में सामाजिक दायित्वों का बोध करवाने वाले नारे लिखिए।

हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत् जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता और विश्व–बंधुत्व के आदर्शों को एक समन्वित रूप में समाज में विकसित करना है। संस्कृति के संरक्षण के साथ–साथ उसे गति भी देकर सजीव व सक्षम बनाना है।

शब्दावली

सोशल मीडिया – यह ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है जो कि लोगों के लिये नेटवर्क में सूचनाओं, विचारों, तस्वीरों और चलचित्रों के सृजन सहभागिता या आदान–प्रदान को सम्भव बनाता है।

सामासिक संस्कृति – सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य हैं जिसमें सहिष्णुता सन्निहित है।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (I) निम्नलिखित में से जो बात सत्य है, वह है–

   (अ) मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है।

   (ब) आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है।

   (स) समाज व्यक्तित्व का विकास करता है।

   (द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

   (ii) समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए–

   (अ) लोकतांत्रिक (ब) समानतावादी

   (स) मानवतावादी (द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

2. स्तम्भ 'अ' एवं 'ब' को सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I)	वन, झील और नदियों की रक्षा करना।	राजनीतिक जागरुकता
(ii)	संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करना।	पर्यावरण की रक्षा
(iii)	अपने अधिकारों की रक्षा और कर्त्तव्यों का पालन करना	सेवा कार्य

3. मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों है ?
4. हम किस प्रकार प्रशासन की सहायता कर सकते हैं ?
5. विरोध जताने के तरीके कैसे होने चाहिए?
6. जागरुक मतदाता की विशेषताएँ बताइए।